न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, R.A.S.
Camp - Hindumalkot

वादपत्र संख्या 18/2018
अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. नन्दूसिंह एवं
2. बलतेजसिंह आत्मजान श्री गुरदेवसिंह, जटसिख, चक 12 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर

...वादीगण

बनाम

1. गुरदेवसिंह आत्मज श्री चननसिंह, जटसिख, चक 12 एच.एच.तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. गुरतेजसिंह आत्मज श्री गुरदेवसिंह, जटसिख, चक 12 एच.एच.तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. श्रीमती परमजीतकौर आत्मजा श्री गुरदेवसिंह धर्मपत्नी श्री बलकरनसिंह, जटसिख, लबानेवाला जिला मुक्तसर(पंजाब)
4. श्रीमती रमनदीपकौर आत्मजा श्री गुरदेवसिंह धर्मपत्नी श्री कुलवीरसिंह, जटसिख, डींगांवाली राठान तहसील व जिला श्रीगगानगर
5. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री संजय जनवेजा	(वादीगण)
	श्री रोबिन गुम्बर	(प्रतिवादी–1से4)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–5)

दिनांक 30 मई, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 12 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 22/27 मुरब्बा नम्बर 22 एवं 23 की कुल 6.325 हैक्टर में से 0.421 हैक्टर, खाता संख्या 35/16 मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 3.163 हैक्टर में से 1.581 हैक्टर, चक नम्बर 10 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 16/81 मुरब्बा नम्बर 16 एवं 19 की 9.313 हैक्टर में से 1.872 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है. प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त कृषि भूमि विरासतन प्राप्त होन से पैतृक सम्पत्ति एवं पैतृक सम्पत्ति की आय से अर्जित सम्पत्ति है जिसमें वादीगण, प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक व हिस्सा बनता है. प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का वादीगण से बहुत स्नेह एवं लगाव है जिनके द्वारा अपना पैतृक हिस्सा वादीगण को देने के कथन किये गये हैं इस प्रकार उनके द्वारा अपने पैतृक हिस्सा का परित्याग किया हुआ है. प्रतिवादी संख्या 2 को पंजाब में स्थित पैतृक कृषि भूमि बंटवारा में प्राप्त हो चुकी है जिस पर वह काबिज है इसलिये वह भी उक्त कृषि भूमि में से कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहता. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त पैतृक सम्पत्ति का वादीगण के साथ घरू बंटवारा किया गया जिसके अनुसार वादीगण को चक 12 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 22/27 मुरब्बा नम्बर 22 एवं 23 की कुल 6.325 हैक्टर में से 0.421 हैक्टर, खाता संख्या

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

35/16 मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 3.163 हैक्टर में से 1.581 हैक्टर, चक नम्बर 10 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 16/81 मुरब्बा नम्बर 16 एवं 19 की 9.313 हैक्टर में से 1.872 हैक्टर कृषि भूमि दी गयी जिस पर वादीगण काबिज होकर काश्त करता आ रहा है. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कथन किया गया कि जब भी वादीगण चाहेंगे, सहमति से विभाजन करवाकर उसके नाम पर उनके हिस्सा की कृषि भूमि दर्ज करवा देंगे. इसी विश्वास पर वादी द्वारा अपने हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि पर काफी धन का व्यय करते हुऐ भारी मेहनत कर सुधार कार्य करवाये गये हैं कुछ दिन पूर्व वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से वादीगण के हिस्सा की कृषि भूमि उसके नाम पर दर्ज करवाने के लिये कई बार आग्रह किया गया जिस पर प्रतिवादीगण टालमटोल करते हुऐ दिनांक 15 जनवरी, 2018 को वादी के हिससा की भूमि देने से इन्कार कर दिया. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को हक व न्याय नहीं देना चाहता है यही वाद हेतुक वादीगण को उपलब्ध है. इस प्रकार वादीगण द्वारा चक 12 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 22/27 मुरब्बा नम्बर 22 एवं 23 की कुल 6.325 हैक्टर में से 0.421 हैक्टर, खाता संख्या 35/16 मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 3.163 हैक्टर में से 1.581 हैक्टर, चक नम्बर 10 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 16/81 मुरब्बा नम्बर 16 एवं 19 की 9.313 हैक्टर में से 1.872 हैक्टर कृषि भूमि के खातेदारी की घोषणा करते हुऐ वादीगण के नाम पर पृथक खाता एवं लगान कायम करने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 12 एच.एच. की जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069, चक 12 एच.एच. के नामान्तरकरण संख्या 178, चक 10 एच.एच. की जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072 की प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 5 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 20 मार्च, 2018 प्रस्तुत किया गया. वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की पहचान अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर द्वारा की गयी. अतिरिक्त वादी संख्या 1 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 9151 4393 5701, वादी संख्या 2 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 8167 0744 5456, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर जारी चुनाव पहचानपत्र संख्या RJ/01/007/498441, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 2966 4399 7399, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर जारी चुनाव आधार कार्ड संख्या 7159 8895 9772 एवं प्रतिवादी संख्या 4 के नाम पर जारी चुनाव पहचानपत्र संख्या RJ/01/007/429136 एवं सरपंच, ग्राम पंचायत, 5 एल.एल. धालेवाला द्वारा जारी प्रमाणपत्र दिनांक 1 अगस्त, 2017 की स्वः प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी. अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया.

प्रतिवादी संख्या 5 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वादपत्र कैम्प– हिन्दूमलकोट में दिनांक 30 मई, 2018 प्रस्तुत किया गया जिसके प्रश्नगत राज्यहित को ध्यान में रखते हुऐ निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया.

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा, प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत जवाब राज्यपक्ष के परिदृश्य विवाद्यकों का निर्धारण अपेक्षित नहीं रहा, वादीगण

एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 राजीनामा के समर्थन में प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किये गये. जिनमें प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा अंकित किया गया कि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 वर्णित भूमि में से कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा उनके द्वारा अपने हिस्सा का परित्याग किया गया. राजीनामा के अनुसार डिक्री जारी की जाती है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है बल्कि वे पूर्ण रूप से सहमत है और राजीनामा के अनुसार निर्णय करवाना चाहती है.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम, 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वादपत्र डिक्री किया जाता सकता है. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है. राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 19 क अनुसार यदि जोत के विभाजन के वाद के लम्बित रहने के दौरान उस वाद के सह अभिधारी किसी करार पर आते हैं तो उस वाद को उस करार की शर्तो के अनुसार डिक्रीत किया जावेगा. इसके साथ ही प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्वान्त के अनुसार किसी भी विचाराधीन वादपत्र में ऐसे सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो सह कृषकों को ऐसी सहमति के आधार पर ही डिक्री की जावेगी. सहमति के आधार पर जोत के विभाजन के मामलों में राजस्व अधिकारी इस तरह की आपत्ति नहीं लगायें कि सह कृषकों ने बंटवारा में अपना हिस्सा कम–अधिक क्यों कर लिया.

ऐसी स्थिति में, प्रश्नगत कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति होने के कारण पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार पक्षकारान राजीनामा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी हैं.

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 20 मार्च, 2018 के अनुसार ही **वादी संख्या 1 गमदूरसिंह एवं वादी संख्या 2 श्री बलतेजसिंह आत्मजन श्री गुरदेवसिंह को–** चक 12 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 12 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 22/27 मुरब्बा नम्बर 22 एवं 23 की कुल 6.325 हैक्टर में से 0.421 हैक्टर, खाता संख्या 35/16 मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 3.163 हैक्टर में से 1.581 हैक्टर, चक नम्बर 10 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 16/81 मुरब्बा नम्बर 16 एवं 19 की 9.313 हैक्टर में से 1.872 हैक्टर कृषि भूमि का बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार घोषित किया जाता है. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश खुले लोक अदालत न्यायालय कैम्प– हिन्दूमलकोट में आज दिनांक 30 मई, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, R.A.S.

1. गमदूरसिंह एवं
2. बलतेजसिंह आत्मजन श्री गुरदेवसिंह, जटसिख, चक 12 एच.एच.तहसील व जिला श्रीगंगानगर

...वादीगण

बनाम

1. गुरदेवसिंह आत्मज श्री चननसिंह, जटसिख, चक 12 एच.एच.तहसील व जिला श्रीगगानगर
2. गुरतेजसिंह आत्मज श्री गुरदेवसिंह, जटसिख, चक 12 एच.एच.तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. श्रीमती परमजीतकौर आत्मजा श्री गुरदेवसिंह धर्मपत्नी श्री बलकरणसिंह, जटसिख, लखनेवाला जिला मुक्तसर(पंजाब)
4. श्रीमती रमनदीपकौर आत्मजा श्री गुरदेवसिंह धर्मपत्नी श्री कुलवीरसिंह, जटसिख, ढींगांवाली रठान तहसील व जिला श्रीगगानगर
5. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

वादपत्र संख्या 18/2018
अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा, श्री रोबिन गुम्बर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एवं पैरोकार राज (प्रतिवादी–5) की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वादी संख्या 1 गमदूरसिंह एवं वादी संख्या 2 श्री बलतेजसिंह आत्मजन श्री गुरदेवसिंह को– चक 12 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 12 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 22/27 मुरब्बा नम्बर 22 एवं 23 की कुल 6.325 हैक्टर में से 0.421 हैक्टर, खाता संख्या 35/16 मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 3.163 हैक्टर में से 1.581 हैक्टर, चक नम्बर 10 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 16/81 मुरब्बा नम्बर 16 एवं 19 की 9.313 हैक्टर में से 1.872 हैक्टर कृषि भूमि का बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार घोषित किया जाता है.

वाद व्यय शून्य वास्ते....शून्य......खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज...शून्य.......दर वार्षिक ...शून्य........आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 30 मई, 2018 को जारी की गयी.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर